eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

लैंगिक हिंसा और मानवीय गरिमा

[1]डॉ० प्रशान्त मिश्रा
[1]सह० आचार्य शिक्षक शिक्षा विभाग कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, कानपुर नगर

Received: 31 August 2023 Accepted and Reviewed: 31 August 2023, Published : 10 September 2023

Abstract

भारत के सामाजिक ढांचे पर यदि हम नज़र डालें तो हमें यह पता चलता है कि आदिकाल से यहाँ पर समाज में नारी का अस्तित्व रहा है। इसे हमेशा पूजा गया है, परन्तु हम सैकड़ों वर्षों के गुलामी के बाद हमारे समाज के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हुआ है जिसमें आज के समय में लिंग आधारित असमानताएं हमारे समाज में घर कर गयी हैं जो स्थायी रूप से आज दिखाई दे रही हैं, जिसे पितृसत्ता की देन कहा जा सकता है। इस कारण से लिंग आधारित हिंसा प्रभावी भूमिका निभा रहा है जिसमें मुख्य रूप से भ्रूण हत्या, लिंग आधारित गर्भपात, यौन तस्करी, दहेज की मांग, बाल विवाह, एसिड हमले और सम्मान हेतु की जाने वाली हत्याएं आदि शामिल हैं। वर्तमान समय में समाज की मांग होती जा रही है कि लैंगिक हिंसा और उसके कारणों का पता लगाकर उसे हमें समाप्त करने के लिए आगे आना होगा जिसमें परिवार, समाज और शैक्षिक वातावरण के माध्यम से हम इस पर कुछ हद तक रोक लगा सकते हैं। हमें प्रारम्भ से ही नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर चलना होगा जिससे हम इस पर कुछ हद तक रोक लगा सकते हैं। लैंगिक हिंसा के निर्धारण में लिंग की भूमिका का योगदान महत्वपूर्ण है, परन्तु एक व्यक्ति की पहचान को निर्धारित करने वाले अन्य कारकों के साथ लिंग की प्रकृति अलग होती है। हिंसा से जुड़े लोगों के अनुभवों को प्रभावित करती है। इसमें नस्ल, उम्र, सामाजिक वर्ग, धर्म और यौनिकता जैसे कारक हो सकते हैं। कुछ ऐसे समुदाय हैं जो लिंग आधारित हिंसा का विशेष रूप से सामना कर रहे हैं, परन्तु इस इक्कीसवीं सदी में ज्ञान के विस्फोट के कारण लोग जागरूक हो रहे हैं।

मानवीय दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा तथा आंदोलनों के माध्यम से भी लोग जागरूक हो रहे हैं। स्त्रियों के भी जागरूक होने के कारण या सक्रिय होने के कारण लैंगिक हिंसा में सकारात्मक सुधार हुआ। आज जागरूकता के कारण लैंगिक हिंसा व्यापक रूप से सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है। जहाँ पर पहले इस प्रकार की बातों को आम चर्चा में नहीं लाया जाता था, आज हम इस पर विशेष पटल पर चर्चा करने को तैयार हैं। हमें हमेशा मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए चर्चा व कार्य करते रहना चाहिए जिससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। लैंगिक हिंसा रोकने के लिए हमें जागरूकता के साथ इस प्रकार की समस्याओं पर आम चर्चा, संगोष्ठी व बड़े पैमाने पर जनजागरण करना होगा जिससे मानवीय व्यवहार में परिवर्तन हो सके और हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें।

बीज शब्द – मानवाधिकार, लैंगिक हिंसा और मानवीय गरिमा, वैयक्तिक स्वतंत्रता।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

Introduction

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (प्राचीन युग)

वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। नारियों को पुरुषों के समान स्वतन्त्रता प्राप्त थी। ऋग्वेद के आधार पर घोषा, गार्गी, आत्रेयी, शकुन्तला, उर्वशी, अपाला आदि उस समय की विदुषी महिलाएं थीं। वेदों के अध्ययन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी और वे पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। किन्तु उनके लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था नहीं थी। हाँ, सह शिक्षा का प्रचलन अवश्य था। वस्तुतः उस युग में परिवार ही बालिकाओं की शिक्षा का केन्द्र होता था जहाँ उनको अपने पिता, पति या कुलगुरु से शिक्षा प्राप्त होती थी। बालिकाओं को धर्म और साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, काव्य रचना, वाद–विवाद आदि की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल के अन्तिम चरण में लगभग 200 ईसा पूर्व से बालिकाओं की विवाह की आयु को कम करके उनकी शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उपस्थित कर दिया गया परन्तु गौतम बुद्ध ने संघ में बालिकाओं के प्रवेश की आज्ञा देकर उनकी शिक्षा को नवजीवन प्रदान किया, किन्तु वह आज्ञा कुलीन व व्यवसायिक वर्गों की बालिकाओं को ही दी गयी। इससे बहुसंख्यक सामान्य बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहीं। बौद्ध काल में नारी को पुनः कुछ गौरव मिला पर वह अपनी प्रतिष्ठा हासिल न कर सकी। मध्यकाल तक आते आते स्त्रियों की दशा बद से बदतर होती चली गयी।

मध्यकालीन युग

मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। मुसलमानों में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण अधिकांश बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहती थीं। बालिका शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह केवल शाही घरानों और कुलीन वर्गों की कन्याओं तथा कुछ मध्यम वर्ग की मुसलमान बालिकाओं के लिए थी। जनसाधारण बालिकाएं अपनी प्रारम्भिक अवस्था में मकतबों में बालकों के साथ केवल थोड़ा सा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकती थीं, इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों में ही थी। तुर्क अफगान शासन काल में शहज़ादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध था। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया सिंहासन पर आरूढ़ हुई। वह विदुषी महिला थी। उसने अश्वारोहण तथा युद्धकला की भी शिक्षा प्राप्त की थी। मालवा के शासक महमूद खिलजी के पुत्र गयासुद्दीन खिलजी ने सारंगपुर में एक मदरसा स्थापित किया था जिसमें स्त्रियों को कलाओं तथा शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। मुगलों के आक्रमण के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई। विदेशी आक्रांताओं की पाशविक प्रवृत्तियों के भय से स्त्रियों ने पठन–पाठन बन्द कर दिया था। बाल विवाह, अनमेल विवाह, सती प्रथा आदि को ज़ंजीरों में बाँधकर उसे निरीह पशु बना दिया गया। पुरुष कमाता था, स्त्री को उसकी कमाई पर आश्रित रहना पड़ता था। उसकी आत्मनिर्भरता लुप्त हो गयी थी। अब वह पुरुष की सहयोगिनी न रहकर आश्रित हो गयी।

आधुनिक युग

भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के आगमन के साथ स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया। अंग्रेज़ों ने अनेक प्रकार के कार्य किये, जो भारतवासियों के लिए नूतन थे। लोगों के विचारों में क्रान्तिकारी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

परिवर्तन हुए और वे रूढ़ियों को छोड़ने लगे। स्वामी दयानन्द, राजा राम मोहन रॉय आदि समाज सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों का खण्डन करने के उद्देश्य से ब्रह्म समाज व आर्य समाज की स्थापना की तथा समाज में नारी को सम्मान दिलाने की दिशा में सराहनीय योगदान दिया।

लैंगिकता की अवधारणा

लैंगिकता मानव जाति में पुरुष व स्त्री के मध्य व्यापक अंतरों को स्पष्ट करती है। यद्यपि लैंगिकता पुरुष व स्त्री के मध्य शारीक अन्तर में कहीं व्यापक है। दूसरे, व्यक्तियों को सामने तथा उनके साथ सम्बन्ध निर्धारित करने व शारीरिक तथा लैंगिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए लैंगिकता की समझ रखना आवश्यक हो जाता है। स्त्री–पुरुष सम्बन्धों के दो प्राथमिक आयाम हैं। प्रथम है दूसरे की लैंगिकता की पहचान को समझना अर्थात स्त्री व पुरुष होना। दूसरा आयाम लैंगिक पहचान से आगे ले जाकर विपरीत लिंगियों को सम्मिलित करना है। समाज द्वारा निर्धारित जीवन जीने के लिए पुरुष जैसी या महिला जैसी पहचान आवश्यक है। पुरुष व स्त्री केवल प्रजनन हेतु ही नहीं, बल्कि सम्बन्धों के मूल्यों को ध्यान रखकर निर्मित किये गये हैं। दोनों एक दूसरे का विकास करने हेतु एक दूसरे पर अन्तर्अवलम्बित हैं। लैंगिकता एक व्यक्ति की लैंगिक पहचान से आगे तक विस्तृत है। हम जो हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने शरीर तथा स्वयं के बारे में कैसा महसूस करते हैं तथा हम दूसरों के बारे में कैसा महसूस तथा व्यवहार करते हैं, यह लैंगिकता का ही एक भाग है। ''लैंगिकता'' का शाब्दिक अर्थ तो 'लिंग वर्ग' ही है, परन्तु इसकी अवधारणा के गहरे निहितार्थ हैं। यह एक व्यक्ति के लैंगिक रुझानों तथा वरीयताओं को बताता है तथा इस प्रकार से व्यक्ति की अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों को भी निर्धारित करता है। लैंगिकता में लैंगिक अभिवृत्तियां, व्यवहार, वरीयताएं, विश्वास व रुझान सम्मिलित हैं। यह किसी के व्यक्तित्व का बेहद व्यक्तिगत व अभिन्न अंग है।

लिंग के प्रकार

प्रायः लिंग को तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है–

1) **पुरुष लिंग** – पुरुष जाति का बोध उनकी शारीरिक बनावट, विचार तथा भावों से होता है। पुरुष कठोर व आध्यात्मिक विचार के होते हैं। पुरुषों का रहन–सहन व कार्य भी अलग होता है। समयानुसार पुरुषों में दाढ़ी–मूँछें आदि आने लगती हैं व अनेक शारीरिक परिवर्तनों के कारण पुरुष जाति का पता चलता है।

2) **स्त्री लिंग** – स्त्री लिंग अर्थात स्त्रियों का स्वभाव, विचार पुरुषों की अपेक्षा मृदु होता है। वयस्कावस्था तक पहुँचते पहुँचते स्त्रियों में बहुत से शारीरिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रियों का रहन–सहन तथा वेशभूषा भी अलग होती है। स्त्रियाँ स्वभाव से ही लज्जाशील व दयालु होती हैं।

3) **तृतीय लिंग (किन्नर)** – तृतीय लिंग में ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो न तो पूर्णतः पुरुष होते हैं और न ही पूर्णतः स्त्री। इनका एक अपना पृथक समाज होता है। प्रायः इनमें

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

संतोनोत्पत्ति की क्षमता नहीं होती है। इन्हें द्विआधारी लिंग भी कहा जाता है। वर्तमान समय में इन्हें भी सामान्य लोगों की भाँति सभी प्रकार के अधिकार दिये जा रहे हैं। लिंग का एक प्रकार 'उभय लिंग' अर्थात ट्रांसजेन्डर भी है। इसके अन्तर्गत ऐसे लोग आते हैं जो शारीरिक रूप से स्त्री अथवा पुरुष होते हैं लेकिन उनके विचार, व्यवहार, भाव, रहन–सहन तथा प्रतिक्रियाएं विपरीत होती हैं।

लैंगिकता

लैंगिकता एक प्राकृतिक व स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो मनुष्य के विचारों एवं भावनाओं पर निर्भर होती है। प्रायः लैंगिकता को पुरुष व महिला के विचारों, कल्पनाओं एवं इच्छाओं, विश्वासों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, व्यवहारों, प्रथाओं एवं रीति–रिवाज़ों आदि विधियों से व्यक्त किया जाता है। लैंगिकता जैविक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं के रूप में प्रकट हो सकती है। कुछ सीमा तक लैंगिकता हमारी इन्द्रियों पर निर्भर करती है एवं इसका प्रभाव सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक आदि सभी पहलुओं पर दृष्टिगोचर होता है।

पितृसत्ता

जब समाज पर पुरुषों का प्रभुत्व होता है तथा यह उनके द्वारा शासित होता है, तो यह पितृसत्तात्मक कहलाता है। इस दृष्टिकोण से पुरुष शासक तथा स्त्री शासित वर्ग है। स्त्री अधिकारवादियों ने तर्क दिया है कि परिवारों में अधिकांश शक्ति पुरुषों के पास होती है, कि महिलाओं की अपेक्षा अधिक वेतन वाले और उच्चतर प्रस्थिति वाली नौकरियों में उनके नियोजित होने की प्रवृत्ति रहती है तथा उनकी प्रवृत्ति राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार स्थापित करने की भी होती है। परिवर्तनवादी स्त्री अधिकारवादियों के लिए लिंग विषयक असमानता की व्याख्या करने के लिए पितृसत्ता सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। वेल्बी (1990) बताते हैं कि समाज के स्त्री अधिकारवादी समझ के केन्द्र में पितृसत्ता ही है। लिंग विषयक असमानता के विश्लेषण के लिए पितृसत्ता अपरिहार्य है। यह महिलाओं के ऊपर पुरुषों के नियन्त्रण, जिसके कई कारण हो सकते हैं, के लिए एक अत्यन्त विशद शब्द है। पितृसत्ता एक विचारधारा अथवा प्रतीति है जिसके अनुसार पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं। सामाजिक संस्थाओं का निर्माण लिंग सम्बन्धी पूर्वाग्रह के साथ पितृसत्तात्मक बुनियाद पर हुआ है। पितृसत्तात्मक विचारधारा के सृजन और इसे स्थायित्व प्रदान करने में धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरे विश्व में पितृसत्तात्मक विचारधारा एक प्रमुख विचारधारा है जो कि पितृसत्तात्मक विचारधारा के पितृवंशीय संस्थाओं को पैतृक वंश परम्परा (कुल) और पितृवंशीय विरासत को शासित करता है। यह विचारधारा सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने तथा जनमानस पर नियन्त्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लैंगिक भेदभाव के कारण

1) **मान्यताएं एवं परम्पराएं** लिंगीय विभेद का एक प्रमुख कारण भारतीय मान्यताएं तथा परम्पराएं हैं। यहाँ जीवित पुत्र का मुख देखने से पुण्य नामक नरक से मुक्ति का वर्णन तथा श्राद्ध और पिण्डादि कार्य पुत्र के हाथ से सम्पन्न कराने की मान्यता रही है। स्त्रियों को चिता को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण पुत्र को महत्व दिया गया है और वंश को चलाने में भी पुरुष को ही प्रधान माना गया है। इन मान्यताओं तथा परम्पराओं की बेड़ियों में हमारा भारतीय

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

जनमानस चाहे वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, पूरी तरह से आबद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप बालकों को महत्व दिया जाता है और कहीं कहीं तो बालिकाओं की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। अधिकांश बालिकाओं को भी बोझ समझ कर ही उनका पालन पोषण किया जाता है तथा सदैव इन्हें पुरुषों की छत्रछाया में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अथर्ववेद में वर्णन आया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार स्त्रियों को अस्तित्व, मान्यताओं, परम्पराओं और सुरक्षा की बलि चढ़ा दिया गया है। इस प्रकार की मान्यताएं तथा परम्पराएं लिंगीय विभेद में वृद्धि करने का प्रमुख कारण बनती हैं।

2) संकीर्ण विचारधारा

बालक–बालिका में भेद का एक कारण लोगों की संकीर्ण विचारधारा है। लड़के माता–पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वंश चलायेंगे, उन्हें पढ़ा लिखाकर घर की उन्नति होगी, वहीं लड़की के पैदा होने पर शोक का माहौल होता है, क्योंकि उसके लिए दहेज देना होगा। विवाह के लिए वर ढूंढ़ना होगा और तब तक सुरक्षा प्रदान करनी होगी तथा पढ़ाने लिखाने में पैसा खर्च करना लोग बर्बादी समझते हैं। वर्तमान में बालिकाओं ने उस संकीर्ण सोच और मिथकों को तोड़ने का कार्य किया है। फिर भी बालिकाओं का कार्यक्षेत्र चूल्हे–चौके तक ही सीमित माना जाता है और उनकी भागीदारी को स्वीकार नहीं किये जाने के कारण बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का महत्व कम आंका जाता है, जिससे लिंगीय भेदभाव में वृद्धि होती है।

3) जागरूकता का अभाव

जागरूकता के अभाव में भी लैंगिक भेदभाव उपजता है। समाज में अभी भी लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है। इस कारण बालक–बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा तथा पोषण आदि स्तरों पर भेदभाव होता है। जबकि जागरूक समाज में बेटा–बेटी एक समान के मंत्र का अनुसरण करते हुए बेटियों का पालन–पोषण और शिक्षा–दीक्षा बालकों के समान ही प्रदान की जाती है। जागरूकता के अभाव में यह माना जाता है कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की चहारदीवारी तक ही सीमित है। अतः उनकी शिक्षा तथा पालन पोषण पर अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए और बौद्धिक रूप से भी वे लड़कों की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं। लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं के विकास का उचित प्रबन्ध नहीं किया जाता है। अतः बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया जाता है।

4) अशिक्षा

लैंगिक विभेद में अशिक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अशिक्षित व्यक्ति परिवारों तथा समाजों में प्रचलित मिथकों और अन्धविश्वासों पर ही लोग कायम रहते हैं और बिना सोचे समझे उनका पालन करते रहते हैं। परिणामतः लड़के का महत्व लड़की की अपेक्षा सर्वोपरि मानते हैं। सभी वस्तुओं तथा सुविधाओं पर प्रथम अधिकार बालकों को प्रदान किया जाता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति यह चिन्तन करता है कि यदि स्त्रियां नहीं होंगी तो माँ, बहन, बेटी, पत्नी आदि का अस्तित्व भी नहीं होगा और शिक्षित व्यक्ति यह भी नित्यप्रति देखता है और अनुभव करता है कि स्त्रियां किसी भी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, वे उनके कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं। इस प्रकार लैंगिक विभेद अशिक्षा और अज्ञानता के परिणामस्वरूप भी होता है।

5) आर्थिक तंगी

भारत में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में वे बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को सन्तान के रूप में प्राथमिकता देते हैं जिससे वे उनके श्र में हाथ बँटाएं और अधिक जिम्मेदारियों को बोझ बाँटने का कार्य करें। माता–पिता लड़कियों को पराया धन समझकर रखते हैं तथा जीवन की कमाई का एक बड़ा भाग लड़की के विवाह में दहेज के रूप में व्यय करते हैं और लड़के के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की ही कामना की जाती है, जिससे लैंगिक विभेद बढ़ता है।

6) सरकारी उदासीनता

लिंगीय विभेद बढ़ने में सरकारी उदासीनता भी एक कारक है। सरकार लिंग में भेदभाव करने वालों के साथ सख्त कार्यवाही नहीं करती है और चोरी छुपे चिकित्सालयों और क्लीनिकों में भ्रूण की जाँच कर कन्या भ्रूणहत्या का कार्य अबाध रूप से चलता रहता है। सार्वजनिक सिलों और सरकारी कार्यालयों में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता है और उनमें व्याप्त असुरक्षा के भाव को समाप्त करने के बजाय उसमें वृद्धि का कार्य किया जाता है जिससे लैंगिक भेदभाव में वृद्धि होती है।

7) सांस्कृतिक कुप्रथाएं

भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है। यद्यपि अपवादस्वरूप कुछ सशक्त स्त्रियों एवं विदुषियों के उदाहरण अवश्य प्राप्त होते हैं परन्तु इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रौपदी जैसी स्त्रियों को भी स्त्री होने का परिणाम भुगतना पड़ा था। भारतीय संस्कृति में धार्मिक तथा यज्ञीय कार्यों में भी पुरुष की उपस्थिति अनिवार्य है और कुछ कार्यों को स्त्रियों को करने का निषेध है। ऐसी स्थिति में समाज पुरुष प्रधान हो जाता है और स्त्री का स्थान गौण। यह स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय के स्त्री पुरुष की न होकर समग्र स्त्रियों की बनकर लिंगीय समस्या का रूप धारण कर लेती है।

8) सामाजिक कुप्रथाएं

भारतीय समाज सूचना और तकनीकी के इस युग में अनेक प्रकार की कुप्रथाओं और अन्धविश्वासों से भरा हुआ है। ऐसी कुछ प्रथाएं निम्नवत हैं–

(क) दहेज– यह एक ऐसी कुप्रथा है जिसकी जड़ें भारतीय समाज में दिनोंदिन गहरी होती जा रही है। समाज में अगड़ी कही जाने वाली जातियों में यह प्रथा चरम पर है तो भोले–भाले आदिवासी समाज में भी यह कुरीति अपने पैर पसार रही है। लड़की का जन्म होते ही माता–पिता और परिवार को उसके विवाह तथा दहेज की चिन्ता खाये जाती है। इस कुप्रथा के कारण भी लोग लड़कियों को नहीं चाहते कि वे जन्म लें।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

(ख) कन्या भ्रूणहत्या – यह एक ऐसी कुरीति है जो भारत में सभ्य और शिक्षित वर्गों के मध्य फैल रही है जिससे जन्म लेने से पूर्व ही बेटी को मार दिया जाता है तथा बेटे वाले लोग समाज में सीना तानकर चलते हैं जिससे अन्य लोगों में भी बेटी के प्रति उदासीनता का भाव उपजता है।

(ग) बाल विवाह – भारत में यद्यपि लड़कियों के विवाह की आयु का निर्धारण 18 वर्ष कर दिया गया है, फिर भी कुछ समुदायों में कन्या, जो रजोधर्म युक्त न हुई हो, सके कन्यादान को अच्छा माना जाता है। इधर लड़की की विदाई होती है और उधर दूसरी ओर उसके विद्यालयी जीवन की विदाई भी हो जाती है और उनका कार्य केवल घर–गृहस्थी तक सीमित रह जाता है जो कोई उत्पादक कार्य नहीं माना जाता है। अतः बालकों और पुरुषों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है जिससे लैंगिक विभेद बढ़ता है।

9) मनोवैज्ञानिक कारक

लिंगीय विभेद में मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। प्रारम्भ में ही स्त्रियों के मस्तिष्क में यह बात घर कर दी जाती है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ हैं तथा महिलाओं को उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन परमेश्वर की भाँति समझकर करना चाहिए। बिना पुरुष के स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है और पुरुष से ही महिला की पहचान और सुरक्षा है। अतः समाज भी आदर्श स्त्री का दर्जा ऐसी महिलाओं को प्रदान करता है जिसके साथ पुरुष का सान्निध्य रहता है। अकेली स्त्री को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार स्त्रियों में यह मनोवैज्ञानिक धारणा बैठ जाती है कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ हैं और वे स्वयं स्त्री होकर भी बालिकाओं के जन्म और उनके सर्वांगीण विकास का विरोध करने लगती हैं।

लैंगिक रूढ़िबद्धता

लैंगिक रूढ़िबद्धता या रूढ़िवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा हम अपने आस पास के समाज को कुछ पूर्व प्रचलित और सामान्यीकृत मान्यताओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर तो कभी अपने आस–पास उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों के द्वारा लैंगिक रूढ़िवाद का निर्माण करता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता प्रायः परम्परा पर आधारित होती है एवं समाज में आ रहे आधुनिक बदलावों में अवरोध उत्पन्न करती है। यह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में पायी जाती है, परन्तु सामान्यतः इसका नकारात्मक रूप ही प्रचलित होता है। पुरुषों के बारे में पारम्परिक धारणा है कि पुरुष सक्रिय है, फुर्तीला है और उसकी सोच स्पष्ट है। इन्हें पुरुषों के प्राकृतिक गुणों के रूप में देखा जाता है, जो सकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं, जबकि पारम्परिक सोच के अनुसार महिलाओं को निष्क्रिय, सुस्त और अस्पष्ट या रहस्यात्मक विचारों वाला माना जाता है। ये गुण प्राकृतिक रूप से नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। यह परम्परागत सोच उनके जैविक अन्तर के कारण उपजी है, जिसके अनुसार पुरुष सक्रिय प्रदाता है और महिला निष्क्रिय धारक है। यह परम्परावादी लोगों की सोच है। वहीं लिंग सामाजिक रचना है जो समाज में महिला एवं पुरुषों के मध्य अन्तर को स्थापित करने के उपयोग में आते हैं। इसकी उत्पत्ति महिला एवं पुरुषों की भूमिका निर्धारण, व्यवहार, क्रियाकलापों

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

आदि के कारण हुई है जिसके परिणामतः व्यक्तियों के मन में महिला व पुरुषों के विषय में कुछ सोच एवं अभिवृत्ति उत्पन्न होती है, जिसे हम लैंगिक रूढ़िता कहते हैं।

किम्बाल यंग के अनुसार, ''रूढ़िबद्धता वह मिथ्या वर्गीकरण करने वाली धारणाएंहोती हैं जिसके साथ, नियमानुसार कोई प्रबल संवेगात्मक भावना, पसन्द या नापसन्द की भावना, स्वीकृति या अस्वीकृति की भावना जुड़ी होती है।''

कुप्पूस्वामी के अनुसार, ''हम रूढ़िबद्धता को त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण करने वाली धारणा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके साथ व्यक्तियों की अन्य समूहों के बारे में कोई प्रबल संवेगात्मक भावना जुड़ी रहती है।''

लैंगिक रूढ़िबद्धता को प्रभावित करने वाले कारक

लैंगिक रूढ़िबद्धता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं–

(1) जैविक भिन्नताएं
(2) सामाजिक अन्तःक्रियाएं
(3) संस्कृति
(4) धर्म
(5) भाषा
(6) समाजीकरण प्रक्रिया
(7) परिवार
(8) समुदाय
(9) परम्परागत प्रथाएं

सशक्तीकरण

सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियन्त्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से सशक्तीकरण एक सर्वांगीण एवं बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में व्यक्तियों की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। सशक्तीकरण के महत्व को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

1) **गरीबी में कमी** – सशक्तीकरण के माध्यम से वर्तमान में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कन्धे से कन्धा मिलाकर परिवार की आर्थिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही हैं जिससे गरीबी में कमी आयी है।

2) **राष्ट्रीय विकास** – वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से देश के राष्ट्रीय विकास में सहयोग प्रदान कर रहा है जो सशक्तीकरण के द्वारा ही सम्भव हुआ है।

3) **हिंसा में कमी** – वर्तमान में हिंसा में कमी सशक्तीकरण का ही अच्छा परिणाम है। आज शिक्षा द्वारा मानव समाज इतना सशक्त हो गया है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने हेतु तैयार व समर्थ है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

4) भ्रष्टाचार में कमी – सशक्तीकरण के माध्यम से भ्रष्टाचार में भी कमी आयी है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो रहा है तथा प्रत्येक बुराई के लिए आवाज़ उठाने लगा है।

पितृसत्ता, शक्ति, संसाधन और अवसर

पितृसत्ता एक अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की जनक है। हमारे समाज में महिलाओं को न केवल उनके प्रति हिंसा के अनुभव को लेकर मूक बना दिया गया है, बल्कि परम्परा ने उन्हें और उनके पूरे समुदाय को हिंसा को स्वीकार करना, झेलना और तर्कसंगत मानना भी सिखा दिया गया है। इस सबके पीछे मूल कारण पितृसत्ता ही है।

सरल शब्दों में पितृसत्ता वह सामाजिक अवस्था है जो महिलाओं को नीचा और पुरुषों को ऊँचा करार देती है। इसे पुरुषशाही या पुरुषवाद भी कहा जा सकता है, और व्यवस्था इस तथ्य पर आधारित है कि पुरुष नारी से श्रेष्ठ है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उत्पादन के संसाधनों, प्रजनन महिलाओं की यौनिकता को नियन्त्रित कर तथा वंश वृद्धि और निर्णय करने में पुरुषों का अधिक नियन्त्रण है। पितृसत्ता की व्यवस्था इस प्रकार गढ़ी गई है कि सामाजिक संस्थान जैसे परिवार, शिक्षण संस्थाएं, कानून, मीडिया, शासन, वित्तीय संस्थान और धर्म भी इन मूल्यों को गहन रूप से लागू करते हैं।

मानवीय गरिमा

भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है परन्तु लिंगीय विभेदों के सम्बन्ध में स्थिति अभी भी चिन्ताजनक है। बालकों और बालिकाओं में कई प्रकार के विभेद प्रचलित हैं, जिससे आधी जनसंख्या के मस्तिष्क का सही उपयोग देश की प्रगति में नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में कई प्रयास सरकारी, निजी, अर्द्धसरकारी तथा समाजसेवी उपक्रमों द्वारा किये जा रहे हैं ताकि लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता लायी जा सके। लिंगीय विभेदों के कारण स्त्री–पुरुष अनुपात की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में तो यह स्थिति और भी भयावह है। लैंगिक विभेद को कम करने तथा शनैः शनैः उनकी समाप्ति करने हेतु निम्न उपाय सुझाव के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे हैं–

(1) जनशिक्षा का प्रसार – स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो जाता। वास्तविक अर्थों में भारतीय विज्ञान जनसमूह के मानस को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के–लड़कियों के लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह है जिससे वे मुक्त होकर ईश्वर की दोनों कृतियों का सम्मान कर सके। इस प्रकार जन शिक्षा का प्रचार–प्रसार करके लैंगिक विभेदों को कम किया जा सकता है।

(2) जागरूकता लाना – भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी रही है। इसी कारण स्त्री पुरुषों में वर्षों से चली आ रही भेदभाव की भावना अभी तक जीवित है जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

(3) भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन – भारत में भ्रूणहत्या कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है तथा ऐसा करने वाले पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है तथा जो क्लीनिक ऐसा करते हुए पाये जायेंगे उन पर भी सख्त कार्यवाही का प्रावधान है। अतः इसको रोकने के लिए बनाये गये प्रावधानों का कठोरता से पालन कराया जाना चाहिए और समाज में भी जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए।

(4) बालिका शिक्षा का प्रसार – बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके भी लिंगीय विभेदों को कम किया जा सकता है। आंकड़ों को देखने से भी ज्ञात होता है कि जहाँ पर बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है वहाँ बालिका लिंगानुपात भी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात में शिक्षा की विशेष भूमिका है। पढ़ी–लिखी लड़की घर परिवार पर बोझ नहीं समझी जाती, अपितु वर्तमान में तो लड़कियां शिक्षित होकर पारिवारिक उत्तरदायित्व का निवर्हन भी करती हैं, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आती है।

(5) शिक्षा प्रणाली में सुधार – भारतीय शिक्षा प्रणाली अभी भी ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रणाली का अनुकरण कर रही है, जिस कारण भारतीय शिक्षा भारतीय समाज में उद्देश्यों की पूर्ति में अक्षम सिद्ध हो रही है। इसी कारण अधिकांश माता–पिता यही सोचते हैं कि किताबी ज्ञान से अच्छा है कि लड़कियां घर के कामों में दक्ष बनें और इसके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। शिक्षा व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त हैं जिनका समुचित समाधान भारतीय परिदृश्य के अनुरूप किया जाना आवश्यक है।

(6) बालिकाओं हेतु पृथक व्यवसायिक विद्यालयों की व्यवस्था – बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को प्रभावित करने हेतु उनकी व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार साक्षरता मात्र से नहीं हो सकता, अपितु उनकी आत्मनिर्भरता हेतु रोज़गारपरक एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाये, जिसमें उनकी आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों पर विशेष ध्यान दिया जाये। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवासीय व्यवसायिक विद्यालयों की स्थापना महिलाओं हेतु पृथक रूप से करनी चाहिए। आर्थिक स्वावलम्बन महिला तथा पुरुषों के मध्य लिंगभेद के समापन में मुख्य भूमिका का निवर्हन करता है और यह व्यवसायिक शिक्षा द्वारा ही सम्भव हो सकता है। अतः इस दिशा में प्रयासों द्वारा लिंगीय भेदभाव को कम किया जा सकता है।

(7) सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक – समाज में अनेक कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जिनके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभाव महिलाओं पर पड़ते हैं। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, कन्या भ्रूणहत्या इत्यादि प्रचलित हैं, जिस कारण स्त्रियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। अतः इन कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। इन दिशा में तमाम प्रयास किये गये हैं तथा किये भी जा रहे हैं।

(8) सामाजिक परम्पराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात – समाज में प्राचीनकाल से कुछ मान्यताओं तथा परम्पराओं का पालन किया जा रहा है, जिसके पालन न करने में सामाजिक तथा धार्मिक दोनों ही प्रकार के भय शक्तियों में व्याप्त हैं, परन्तु उन गलत परम्पराओं और मान्यताओं के

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

तिलिस्म को धीरे–धीरे तोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। लड़कियां भी ईश्वर की अनुपम कृतियां हैं और वे प्रत्येक कार्य तथा संस्कार का सम्पादन करने में सक्षम हैं, सिर्फ इसी कारण उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता, और यदि स्त्रियां नहीं होंगी तो पुरुष भी नहीं होंगे, अतः स्त्री–पुरुष दोनों को ही समान दर्जा मिलना चाहिए। सामाजिक कुप्रथाओं तथा गलत मान्यताओं पर कुठाराघात करके ही स्त्री–पुरुष दोनों ही लिंगों की समानता की बात सोची जा सकती है।

(9) सुरक्षात्मक वातावरण – बालक तथा बालिका के लिंग में इसलिए भी भेद किया जाता है कि बालिकाओं की आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है, वैसे–वैसे माता–पिता को उनकी चिन्ता सताने लगती है, क्योंकि समाज अभी भी बालिकाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली समेत सम्पूर्ण भारत में आये दिन बलात्कार, छींटाकशी, एसिड फेंकने जैसी घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही हैं। पुलिस तथा प्रशासन के साथ समाज को भी ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे कि बालिकाएं जब भी घर से बाहर निकलें तो उनके माता–पिता तथा अभिभावक चिन्तामुक्त रह सकें। इस प्रकार घर तथा बाहर प्रत्येक स्थान पर सुरक्षात्मक वातावरण का सृजन होने से बालिकाएं अपना अध्ययन और रोज़गार निर्भीक होकर कर सकेंगी तथा आगे बढ़कर स्वावलम्बी बनेंगी और पुरुषों की बराबरी कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगी।

(10) प्रशासनिक प्रयास – लिंगीय विभेदों को समाप्त करने में प्रशासनिक उपायों की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जो नियम सरकार द्वारा बनाये गये हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन को नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले चिकित्सालयों एवं क्लीनिकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए व उनकी मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। प्रशासन को लिंगीय विभेदों को कम करने हेतु साहसी और प्रतिभावान महिलाओं तथा बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जन सामान्य की बालिकाओं के विषय में धारणा बदल सके।

(11) संवैधानिक उपचार – भारतीय संविधान में स्त्रियों के विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। उनकी समता हेतु अनेक धाराएं एवं उपबन्धों का निर्धारण किया गया है तथा संविधान में स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार जितने पुरुषों के लिए हैं उतने ही महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए भी हैं। इस प्रकार संवैधानिक उपचार तो बहुत किए गये हैं परन्तु उन उपचारों के विषय में जितनी जागरूकता होनी चाहिए, वह अभी तक नहीं हो सकी है। अतः इन प्रावधानों के विषय में जागरूकता लाकर ही लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है।

मानवीय गरिमा के अनुरूप लैंगिक रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के उपाय

लैंगिक रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए निम्न उपाय प्रस्तावित किये जा सकते हैं–

1. बच्चों के पालन पोषण की विधियां इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसमें लड़के व लड़कियों के मध्य किसी भी प्रकार का विभेद न हो जैसे खिलौनों से खेलना, घर के कार्य आदि दोनों को समान रूप से करने चाहिए।
2. समाजीकरण की प्रक्रिया में बालकों व बालिकाओं दोनों के लिए ही अधिगम, प्रशिक्षण एवं उम्मीदें बराबर होनी चाहिए। घर के कार्य सिर्फ लड़कियों से न कराकर लड़कों से भी कराये

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

जाने चाहिए। लड़कियों को भी स्वतन्त्र होने का अवसर देना चाहिए और उन्हें भी घर से बाहर के कार्य करने के अवसर दिये जाने चाहिए।

3. लड़के व लड़कियों दोनों में ही भेदभाव न करके तार्किक व सही सोच का निर्माण करना चाहिए ताकि वे सही व गलत का निर्णय ठीक से कर सकें।
4. लड़का व लड़की दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। दोनों को समान रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए और लड़कियों को भी समूह का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
5. लड़कों व लड़कियों दोनों में समान रूप से धार्मिक मूल्यों का विकास करना चाहिए।
6. बालकों व बालिकाओं दोनों को समान रूप से विषयों के चयन, उच्च शिक्षा, खेलकूद, आर्थिक क्षेत्र, राजनीति, सांस्कृतिक क्षेत्र, एन.सी.सी., एन.एस.एस. स्काउट एवं गाइड आदि में अवसर देने चाहिए व शैक्षिक भ्रमण व यात्रा के अवसर देने चाहिए।
7. महिलाओं को भी रोज़गार व प्रशिक्षण के लिए सहायता देने के कार्यक्रम होने चाहिए तथा महिला शिक्षा के लिए भी संघनित कार्यक्रमों का संचालन होना चाहिए।
8. बैनरों व पोस्टरों से लैंगिक समानता के लिए जागरूकता विकसित की जानी चाहिए।
9. अभिभावकों को लड़कियों के महत्व व अधिकारों से अवगत कराया जाना चाहिए।
10. लड़कियों के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए।
11. लड़कियों के विषय में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किया जाना चाहिए।
12. लड़कियों में स्व–अवधारणा एवं स्व–महत्व का विकास करना चाहिए।
13. उनके समक्ष सफल बेटियों जैसे कल्पना चावला, किरण बेदी, सायना नेहवाल आदि के प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
14. लड़कियों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए शिक्षणशास्त्रीय विधियों, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन विधि आदि में सुधारात्मक बदलाव किये जाने चाहिए।
15. लैंगिक रूढ़िबद्धता के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है।

संदर्भ सूची–

1. लाल, रमन बिहारी (2019). शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ, पृष्ठ सं० 109.
2. सुखिया, एस०पी० (2017). शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबन्धन, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृष्ठ सं० 177.
3. मिश्रा, एम०के० (2012). शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक अनुसंधान एवं नवाचार, पवन प्रिंटर्स, सिंधी गली, आगरा, पृष्ठ सं० 35.
4. सिंह, विपिन कुमार (2019). विद्यालय प्रबन्धन एवं नेतृत्व, अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ सं० 71.
5. मिश्रा, नीरांजना (2016). शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ठाकुर पब्लिकेशन, लखनऊ, पृष्ठ सं० 117.
6. शर्मा, आभा (2021). मूल्य तथा शान्ति शिक्षा, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ, पृष्ठ सं० 52.
7. दीक्षित, राजन (2020). जेन्डर, स्कूल तथा समाज, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ, पृष्ठ सं० 23.